मामलों का विवरण

मेसर्स बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम

रामभा देवी और ओआरएस। (2018 की सिविल अपील संख्या 841) सितंबर 13,2023

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,**

ऋषिकेश रॉय**,** पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा**,** पंकज मिट्ठल और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे।**]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति लाइसेंस के बल पर 7500 किलोग्राम से अधिक भार रहित "हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन" को चलाने का हकदार हो सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम **1988-"**हल्के मोटर वाहन**"** के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति**-**उस लाइसेंस के बल पर **7500** किलोग्राम से अधिक भार रहित वजन वाले **"**हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन**"** को चलाने का अधिकारः

आयोजित किया गयाःमुकुंद देवांगन के मामले में निर्णय, जो एक हल्के मोटर वाहन के लिए लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को एक अलग परिवहन वाहन लाइसेंस के बिना उस लाइसेंस के बल पर परिवहन वाहन चलाने में सक्षम बनाता है, विधायी इरादे के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है-जैसा कि व्यक्त किया गया है, विधि की स्थिति में किसी भी बदलाव का प्रभाव बड़ी संख्या में उन व्यक्तियों पर पड़ेगा जिन्होंने बीमा प्राप्त किया है और मुकुंद देवांगन के मामले पर भरोसा करते हुए एलएमवी लाइसेंस के साथ वाणिज्यिक वाहन चला रहे हैं-सामाजिक क्षेत्र पर निर्णय के उलट होने का प्रभाव एक ऐसा पहलू है जिसे सरकार के नीतिगत निर्णयों द्वारा संतुलित करना होगा-इस प्रकार, केंद्र सरकार के लिए इस मामले पर नए सिरे से विचार करना और यह निर्धारित करना आवश्यक होगा कि क्या विधि में परिवर्तन वारंट है।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017)

14 एस. सी. सी. 663-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलेट/एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शनः2018 की सिविल अपील संख्या 841।

एस. बी. सिविल मिस्क में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 04.08.2017 से।2011 की अपील No.5127।

सह

2018 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 10918,9604,9613, डायरी संख्या (ओं)। 24834, 25256 2018 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 2018 की डायरी संख्या 24671।32753, 32756, 37055, 39059 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 426,2019 की 505-506 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 17506, डायरी संख्या (ओं)।23638, 24137, 24530, 24534 2018 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 5958,2019 की 8918-8919,11503-11504,2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 8277,2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 8123-8124,2017 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 14645-14646,35472-35473,2018 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 6055, एस. एल. पी. (सी) संख्या 18849,20449,21547,2019 की 23017-23018,2019 की सी. ए. संख्या 8001-8002,2020 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 766,2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 24545,30601, एस. एल. पी.4869, 6119, 6264 2018 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 8816,9607,9610,9612,9606,9609,2018 की डायरी संख्या।9963, 9970, 990 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 5193,5188,9611,9608,9605,2018 की एसएलपी (सी) संख्या 2023 की 20221

रूपः

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, आर वेंकटरमानी, अटॉर्नी जनरल, जयंत के सूद, सिद्धार्थ दवे, जयंत भूषण, नीरज किशन कौल, श्रीमती अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता।, जगदीश चंद्र सोलंकी, सुश्री अर्चना पाठक दवे, कार्तिक जसरा, वैभव द्विवेदी, ए. एन. कृष्ण स्वामी, उदय खन्ना, 243

मेसर्स बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामरामभा देवी और ओआरएस।

अवनीश दवे, जगदीश सी सोलंकी, सुश्री रिया सेठी, प्रत्यूष श्रीवास्तव, सुश्री विधि ठाकर, प्रमोद कुमार विश्नोई, प्रस्तुत दलवी, कुमार प्रशांत, तुषार भूषण, अमर्त्य भूषण, योजना मेहरा, केतन पॉल, सुकांत विक्रम, सुश्री साक्षी मित्तल, विष्णु मेहरा, कुणाल मल्होत्रा, अमित कुमार सिंह,

सुश्री के एनाटोली सेमा, सुश्री चुबलेमला चांग, प्रांग न्यूमाई, अभसीक गोला, विरेश बी. सहारिया, अक्षत अग्रवाल, राजीव कुमार, पी. के. सेठ, सुश्री मंजीत चावला, श्रीमती उषा पंत कुकरेती, सुश्री मीनाक्षी।शशांक, श्रीमती.

माधवी यादव, ए. एन. कृष्णास्वामी, नवनीत कुमार, सौरभ तिवारी, पारिजात किशोर, फैसल शेरवानी, शिखर दीप अग्रवाल, शिवी सेठी, ओंकार ठाकुर, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्ज्वल सिंह, सुश्री गरिमा चौधरी, सुश्री अगस्त्य सेन, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

1. संविधान पीठ के समक्ष यह संदर्भ तीन न्यायाधीशों की पीठ के 8 मार्च 2022 के एक आदेश के अनुसरण में उत्पन्न होता है।तीन-न्यायाधीशों की पीठ बदले में दो-न्यायाधीशों द्वारा एक संदर्भ की सुनवाई कर रही थी जो 3 मई 2018 को किया गया था।

2. संविधान पीठ को भेजा गया प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति लाइसेंस के बल पर "हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन" को चलाने का हकदार हो सकता है, जिसका भार रहित वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो।

3. इस मुद्दे को मुकुंद में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने निपटाया था।

दीवानगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.निष्कर्ष

जो निर्णय में आए थे वे निम्नलिखित शब्दों में थेः“60. इस प्रकार, हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो हमें इस प्रकार संदर्भित किए जाते हैंः60.1.“अधिनियम की धारा 2 (21) की अवहेलना करने वाले हल्के मोटर वाहन में धारा 2 (15) और 2 (48) के साथ पठित धारा 2 (21) में निर्धारित वजन के अनुसार एक परिवहन वाहन शामिल होगा।इस तरह के परिवहन वाहनों को 1994 के संशोधन अधिनियम 54 के आधार पर हल्के मोटर वाहन की अवज्ञा से बाहर नहीं रखा गया है।

60.2.एक परिवहन वाहन और सर्वव्यापी बस, जिसका सकल वाहन वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, एक हल्का मोटर वाहन होगा और मोटर कार या ट्रैक्टर या एक रोडरोलर भी होगा, जिसका "भार रहित वजन" 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है और धारा 10 (2) (डी) में दिए गए "हल्के मोटर वाहन" के वर्ग को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारक परिवहन वाहन चलाने के लिए सक्षम है।

मेसर्स बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामरामभा देवी और ओआरएस।

वाहन या ऑम्निबस, जिसका सकल वाहन वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है या एक मोटर कार या ट्रैक्टर या रोडरोलर, जिसका "भार रहित वजन" 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। कहने का मतलब है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस पर किसी अलग अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।धारा 10 (2) (डी) के अंतर्गत जारी किया गया लाइसेंस 1994 के संशोधन अधिनियम 54 और फॉर्म में 28-3-2001 के बाद भी वैध है।

60.3.1994 के अधिनियम 54 के आधार पर किए गए संशोधन का प्रभाव धारा 10 (2) के खंड (ई) से (एच) को प्रतिस्थापित करते हुए, जिसमें धारा 10 (2) (ई) में "मध्यम माल वाहन", धारा 10 (2) (एफ) में "मध्यम यात्री मोटर वाहन", धारा 10 (2) (जी) में "भारी माल वाहन" और धारा 10 (2) (एच) में "भारी यात्री मोटर वाहन" को केवल उपरोक्त प्रतिस्थापित वर्गों से संबंधित धारा 10 (2) (ई) में प्रतिस्थापित "परिवहन वाहन" अभिव्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।यह परिवहन वाहन को अधिनियम की धारा 10 (2) (डी) और धारा 2 (41) यानी हल्के मोटर वाहन के दायरे से बाहर नहीं करता है।

60.4."परिवहन वाहन" को सम्मिलित करके प्रपत्र 4 के संशोधन का प्रभाव केवल उन श्रेणियों से संबंधित है जो वर्ष 1994 में प्रतिस्थापित की गई थीं और "हल्के मोटर वाहन" के वर्ग के परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया वही बनी हुई है जो पहले थी और नहीं बदली गई है और परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि कोई चालक हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखता है, तो वह उस प्रभाव के बिना ऐसे वर्ग के परिवहन वाहन चला सकता है। "

4 जब तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्देश लिया गया, तो बीमा कंपनियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि मुकुंद देवांगन (ऊपर) के निर्णय में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया है।विशेष रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 3 अंतर्गत कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति अपने उपयोग के लिए किराए पर ली गई मोटर कैब या मोटर साइकिल के अलावा परिवहन वाहन नहीं चलाएगा।

2 “अधिनियम "

धारा 75 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बनाई गई योजना जब तक कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस निर्दिष्ट रूप से उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है।इसके अलावा, रेफरल आदेश में कहा गया है कि दो-न्यायाधीशों की पीठ का यह भी विचार था कि अधिनियम की धारा 4 (1), 7 और 14 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 5 और 31 सहित अन्य प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया था।

मुकुंद देवांगन (ऊपर)।

5. भारत संघ इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था जब 8 मार्च 2022 को रेफरल आदेश पारित किया गया था।

6. 20 जुलाई 2023 को संविधान पीठ ने बीमा कंपनियों की ओर से और दावेदारों की ओर से दलीलें सुनीं।इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

“3. सुनवाई के दौरान, प्रतिवादियों की प्रमुख दलीलों में से एक यह रही है कि मुकुंद देवांगन मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

v ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकार किया गया था

केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 16 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी की, जिसके परिणामस्वरूप नियमों को इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप लाने के लिए संशोधन किया गया।

4. हमारा विचार है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केंद्र सरकार की स्थिति आवश्यक होगी।हम भारत के महान्यायवादी से इस मामले में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। "

7. जैसा कि उपरोक्त उद्धरण में उल्लेख किया गया है, 16 अप्रैल 2018 के पत्र और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 31 मार्च 2021 की अधिसूचना को दावेदारों की ओर से वकील की सहायता के लिए दबाव डाला गया था ताकि यह आग्रह किया जा सके कि केंद्र सरकार ने वास्तव में नियमों में संशोधन किया है ताकि उन्हें मुकुंद देवांगन (उपरोक्त) के निर्णय के अनुरूप लाया जा सके।8 भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमानी न्यायालय के अनुरोध के जवाब में पेश हुए और एक लिखित नोट प्रस्तुत किया।महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत नोट इंगित करता है किः

(i) मुकुंद देवांगन (उपरोक्त) में अनुपात का अनुप्रयोग हल्के मोटर वाहन के लिए लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को 247 चलाने में सक्षम बनाता है।

मेसर्स बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामरामभा देवी और ओआरएस।

उस लाइसेंस के बल पर एक अलग परिवहन वाहन लाइसेंस के बिना एक परिवहन वाहन; और

((ii) मुकुंद देवांगन (उपरोक्त) में कानून के प्रावधानों और नियमों की यह व्याख्या विधायी इरादे के अनुरूप नहीं प्रतीत होती है।

9. नोट में यह भी संकेत दिया गया है कि 16 अप्रैल 2018 का पत्र केंद्र सरकार द्वारा मुकुंद देवांगन (उपरोक्त) के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि के रूप में ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था।परिणामस्वरूप, नियमों को निर्णय के अनुरूप लाने के लिए उनमें और संशोधन करने के लिए 31 मार्च 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी।तथापि, महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा एक नीतिगत घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, पत्र और अधिसूचना का स्पष्टीकरण किए जाने के लिए विधि की स्थिति पर कोई प्रभाव या निर्णायकता नहीं हो सकती है।

10 .साथ ही, यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत संघ विधि में कथित अंतराल को दूर करने के लिए दिशानिर्देश/विनियम जारी करने की आवश्यकता, यदि कोई हो, के लिए खुला है, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णय में समझा गया है।

मुकुंद देवांगन (ऊपर)।

11. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के विशिष्ट निवेदन के अलावा, कि वह विधि में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तैयार है, हमारा विचार है कि केंद्र सरकार के लिए इस मामले पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक होगा।हम निम्नलिखित कारणों से इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इच्छुक हैंः

(i) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधिनियमन के बाद से, परिवहन क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में नए बुनियादी ढांचे के उद्भव और निजी परिवहन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए नई व्यवस्थाओं के साथ;

((ख) विधि की किसी भी व्याख्या या निर्माण में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से जुड़ी सड़क सुरक्षा की वैध चिंताओं को विधिवत ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(iii) मुकुंद देवांगन **(**ऊपर**)** में व्यक्त विधि की स्थिति में किसी भी बदलाव का निस्संदेह प्रभाव होगा

जिन व्यक्तियों ने इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि के आधार पर बीमा प्राप्त किया है और जो एल. एम. वी. लाइसेंस के साथ वाणिज्यिक वाहन चला रहे हैं।बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर होंगे; और (iv) मुकुंद देवांगन (उपरोक्त) में निर्णय

ने लगभग छह वर्षों तक निर्णय को बरकरार रखा है और इस स्तर पर, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र पर, निर्णय के उलट होने का प्रभाव एक ऐसा पहलू है जिसे सरकार की नीतिगत शाखा द्वारा संतुलन में रखना होगा।

12 .जिन विचारों को ऊपर स्पष्ट किया गया है, वे आवश्यक रूप से एक ही दिशा में नहीं हैं। हालाँकि, वे सभी नीति के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं जिनका मूल्यांकन और मूल्यांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।क्या विधि में कोई बदलाव आवश्यक है, यह एक ऐसा मामला है जिसे केंद्र सरकार द्वारा उन विविध विचारों को ध्यान में रखते हुए एक विचारशील निर्णय लेने के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए जो नीतिगत विकल्प और निर्णय लेने में उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

13. इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि व्याख्या का मुद्दा जिसे 8 मार्च 2022 के रेफरल आदेश द्वारा संविधान पीठ को भेजा गया है, उसे उन नीतिगत विचारों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो यह तय करने में सरकार के साथ वजन कर सकते हैं कि क्या मुकुंद देवांगन (उपरोक्त) में प्राप्त निर्णय को उलटना आवश्यक है और यदि ऐसा है, तो आगे का रास्ता जो अलग-अलग हितों को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना चाहिए, जिनमें से कुछ का उल्लेख आदेश के पहले भाग में किया गया है।

14. इसलिए, मुकुंद देवांगन (उपरोक्त) में निर्णय को उलटने से उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखते हुए, यह उचित होगा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्यात्मक अभ्यास शुरू करने से पहले सरकार द्वारा पूरे मामले का मूल्यांकन किया जाए।एक बार जब न्यायालय को केंद्र सरकार के सुविचारित दृष्टिकोण से अवगत कराया जाता है, तो संविधान पीठ के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है।

15. हम केंद्र सरकार से दो महीने की अवधि के भीतर इस कवायद को पूरा करने का अनुरोध करते हैं।

16. हम स्पष्ट करते हैं कि हमने 8 मार्च 2022 के निर्देश आदेश के गुण-दोष या 249 की शुद्धता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

मेसर्स बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामरामभा देवी और ओआरएस।

मुकुंद देवांगन (ऊपर) में निर्णय जो केंद्र सरकार के सुविचारित विचार को इस न्यायालय के समक्ष रखे जाने के बाद आगे की दलीलों की प्रतीक्षा करेगा।

17. 22 नवंबर 2023 को निर्देश के लिए कार्यवाही को बोर्ड के शीर्ष पर आंशिक सुनवाई वाले मामले के रूप में सूचीबद्ध करें।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

निदेशों के लिए सूचीबद्ध कार्यवाहियाँ।

निधि जैन